न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 21/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/50

प्रार्थी:– गोविन्दराम उर्फ गोविन्ददास वैष्णव पुत्र नेनुदास निवासी गांव देवली आउवा, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. कनीराम पुत्र रघुनाथराम, जाति जाचक (ढोली) निवासी ग्राम जाणुन्दा, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली
2. ग्राम पंचायत जाणुन्दा जरिये सरपंच तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण ओझा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/04/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 01.09.2014 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम मुकनपुरा के आबादी क्षेत्र में प्रार्थी का कब्जासुदा, पट्टासुदा परिसर आया हुआ है, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में पड़त जमीन व नगाराम पुत्र नरसिंग प्रजापत का मकान, दक्षिण दिशा में पड़त जमीन वर्तमान में अप्रार्थी का भूखण्ड, पूर्व दिशा में पड़त जमीन खालसा वर्तमान में कुआ झालरवा की कृषि भूमि एवं पश्चिम दिशा में दरवाजा व आगे सड़क है, जिसका क्षेत्रफल 150 वर्गगज है, जिसका प्रार्थी के पक्ष में पट्टा संख्या 612 दिनांक 26.06.1993 जारी हो रखा है। उक्त पट्टा जारी होने के बाद प्रार्थी कच्चा निर्माण करवाकर रहवास कर रहा था एवं दिनांक 28.08.2014 को ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र पेश कर निर्माण स्वीकृति की अनुमति चाही थी। अप्रार्थी द्वारा जैर आराजी पर दिसम्बर 2021 में कब्जे की कोशिश करने पर प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी हुई। ग्राम पंचायत ने बिना कोई विधिक कार्यवाही अपनाये, पंचायत नियमों के विपरीत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने अपनी निगरानी में जो पड़ौस अंकित किये है वह जैर निगरानी पट्टे से मेल नहीं खाते है। प्रार्थी के कथनानुसार जैर आराजी पर उनका कब्जा है परन्तु मौके पर अप्रार्थी का

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कब्जा है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी में पट्टा जारी किये जाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया है। प्रार्थी के पुत्र ने जैर आराजी के सम्बन्ध में एक सिविल वाद पेश किया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया तथा सिविल वाद में भी पट्टे के पडौस मेल नहीं खा रहे है। कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार जैर आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा है और प्रार्थी स्वयं का कोई पट्टा नहीं है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 01.09.2014 के विरूद्ध पेश की है। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी हो रखा है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथन को खारिज करते हुये उज्र किया कि उक्त पट्टे के पड़ौस, जैर निगरानी पट्टे के पडौस से मेल नहीं खाते है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 612 दिनांक 26.06.1993, अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन भू–खण्ड के तहत जारी किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 30 बाई 45 अर्थात् 1350 वर्गफीट का है तथा उसके पडौस उत्तर, दक्षिण व पूर्व दिशा में पडत जमीन खालसा, पश्चिम दिशा में दरवाजा, आगे सडक की भूमि। इसी प्रकार जैर निगरानी पट्टे का क्षेत्रफल भी 30 बाई 45 अर्थात् 1350 वर्गफीट है। उपरोक्त दोनों पट्टों का क्षेत्रफल, नक्शा एवं पश्चिम दिशा में अंकित पडौस समान है, चुकि पूर्व का पट्टा वर्ष 1993 एवं जैर निगरानी पट्टा वर्ष 2014 का है और इतने समयान्तराल में पडौस में अन्तर आना स्वाभाविक है। परन्तु उपरोक्त दोनों के पट्टों के क्षेत्रफल, नक्शे एवं पश्चिम दिशा में अंकित पडौस के तुलनात्मक अध्ययन से इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि दोनों पट्टे एक ही भूमि के जारी किये गये है। जिससे यह सुस्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जब पूर्व में जारी पट्टा प्रभाव में है तो पश्चातवर्ती पट्टा Ab Initio Void होने से भी अपास्त योग्य है। जिसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अुनसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थी का रहवासीय कब्जा है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का खण्डन करते हुये उज्र किया कि जैर आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा है तथा सिविल

अति. जिला कलेक्टर पाली

न्यायालय मारवाड़ जंक्शन के प्रकरण संख्या 126/21 मे प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट में भी अप्रार्थी का ही कब्जा बताया है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कमीश्नर रिपोर्ट में अंकितानुसार जैर निगरानी भूखण्ड के दक्षिण दिशा में केवल अप्रार्थी की पत्नी जशोदा का प्लॉट है, जिसमें नीवे खुदी हुई है तथा उक्त रिपोर्ट में यह कही पर भी अंकित नहीं है कि जैर निगरानी भूखण्ड पर अप्रार्थी का कब्जा हों। जैर निगरानी भूखण्ड के पडौस में अप्रार्थी का पट्टा होने से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त भूखण्ड पर उसका कब्जा हो, लिहाजा अधिवक्ता अप्रार्थी का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996, के नियम 158 के तहत निःशुल्क जारी किया गया है। ग्राम पंचायत से प्राप्त जैर निगरानी पट्टे की मिसल में कोई आवेदन पत्र संलग्न नहीं है अर्थात् ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु मिसल की आदेशिका दिनांक 20.03.2013 के अनुसार प्रार्थी के आवेदन पर मिसल खोली गयी, जो कि परस्पर विरोधाभाषी है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 05.04.2013 के द्वारा तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का जो नक्शा बनाया गया है उस पर नक्शा बनाने वाले का हस्ताक्षर नहीं है। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह् लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाह मदनलाल के बयान दिनांक 05.03.2013 को लिया गया परन्तु जब मिसल ही आदेशिका दिनांक 20.03.2013 के द्वारा दर्ज कि गई हो तो दिनांक 05.03.2013 को बयान कैसे दर्ज हो सकते है ? तथा दुसरा बयानफार्म पर केवल बयानकर्ता घीसाराम मेघवाल के हस्ताक्षर है कोई बयान अंकित नहीं है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है और गवाह के रूप में अप्रार्थी स्वयं के ही दो हस्ताक्षर है, जो नियम 148 में वर्णित प्रावधानों अनुरूप नहीं है। इसके अलावा उक्त आपत्ति इश्तिहार के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। मिसल की आदेशिका दिनांक 05.05.2013 के द्वारा आपत्ति नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया परन्तु बैठक कार्यवाही रजिस्टर अनुसार दिनांक 05.05.2013 को कोई बैठक ही नहीं हुई। साथ ही बैठक कार्यवाही रजिस्टर की बैठक दिनांक 06.06.2013 एवं दिनांक 05.07.2013 में प्रस्तगत मिसल का कोई अंकन ही नहीं है। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित प्रक्रिया के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि सम्पूर्ण

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रक्रिया राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 के अनुसार की गयी है और अन्तिम आदेशिका दिनांक 05.07.2013 के तहत धारा 157 (ख) के तहत 200/– रूपये की राशि पर पट्टा जारी किया जाने के आदेश पारित किये गये, जिसमें बाद में कांटछाट कर 157(ख) 200/– रूपये की राशि की जगह धारा 158 में निःशुल्क पट्टा जारी करना अंकित किया, जो प्रश्नगत प्रकरण में सन्देहास्पद बनाता होता है। साथ ही प्रकरण में ग्राम पंचायत को राजस्व हानी होना भी प्रलक्षित होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 160 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 01.09.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली